रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224020 CG-DL-E-30122020-224020

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] No. 675] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. 45/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 810(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क, अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 46/2011- सीमा शुल्क, तारीख 1 जून, 2011, सा.का.नि. 423 (अ), तारीख 1 जून, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात;

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 80 में, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "52.0" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) क्रम संख्या 81 में, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "52.0" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iii) क्रम संख्या 83 में, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "52.0" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iv) क्रम संख्या 124 में, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "44.0" को प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

6445 GI/2020 (1)

- (v) क्रम संख्या 125 में, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "54.0" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/64/2003- टीआरयू (Pt-V)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 46/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 01 जून, 2011 को सा.का.नि 423(अ) दिनांक 01 जून, 2011 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 41/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसंबर, 2019 जिसे सा.का.नि. 967 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

No. 45/2020-Customs

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.46/2011-Customs, dated the 1st June, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 423(E), dated the 1st June, 2011, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- i. against serial number 80, for the entry in column (5), the entry "52.0" shall be substituted;
- ii. against serial number 81, for the entry in column (5), the entry "52.0" shall be substituted;
- iii. against serial number 83, for the entry in column (5), the entry "52.0" shall be substituted;
- iv. against serial number 124, for the entry in column (5), the entry "44.0" shall be substituted; and
- v. against serial number 125, for the entry in column (5), the entry "54.0" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

[F. No. 354/64/2003-TRU (Pt.-V)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 46/2011-Customs, dated the 1st June, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 423(E), dated the 1st June, 2011 and was last amended by notification No. 41/2019-Customs, dated the 31st December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 967 (E), dated the 31st December, 2019.